रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 2008/भाद्र 13, 1930
No. 489] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 2008/BHADRA 13, 1930

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

आरबीई सं. 103/2008

सा.का.नि. 643(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **लघु नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 कहा जाएगा ।

(2) इन्हें 1 जनवरी, 2006 से लागू माना जाएगा ।

2. **उन रेल कर्मचारियों की श्रेणियां जिन पर ये नियम लागू होंगे.**—

(i) अन्यथा उपलब्ध व्यवस्था या इन नियमों में निहित प्रावधानों को छोड़कर ये नियम रेल सेवाओं में कार्य कर रहे व्यक्तियों पर लागू होंगे ।

(2) ये नियम लागू नहीं होंगे :

(i) पूर्व भारतीय राज्यों के स्थायी कर्मचारी जिन्हें रेल सेवा में समाहित किया गया है, जब तक कि ऐसे कर्मचारी रेल सेवाओं में समाहित पूर्व सेवा विनियमों द्वारा शासित होते हैं ;

(ii) उन व्यक्तियों पर, जो राजनयिक, कांसुली अथवा विदेशों में स्थित भारतीय संस्थापनाओं में स्थानीय रूप से सेवार्थ भर्ती हैं;

(iii) उन व्यक्तियों पर, जो पूर्णकालिक सेवायोजन में नहीं हैं;

(iv) उन व्यक्तियों पर, जिनका भुगतान आकस्मिक निधि से किया जाता है;

(v) उन व्यक्तियों पर, जिन्हें मासिक आधार की अपेक्षा अन्य प्रकार से भुगतान किया जाता है, उनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें केवल मात्रानुपात दर पर भुगतान किया जाता है;

(vi) उन व्यक्तियों पर, जो अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं, केवल उन व्यक्तियों को छोड़कर जहां अनुबंध में अन्य प्रकार से इसका प्रावधान किया गया हो;

(vii) उन व्यक्तियों पर जो सेवा-निवृत्ति के बाद पुनः रेल सेवा में लगाए गए हों;

(viii) उन किसी भी अन्य वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों पर जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा सारे कार्यों से अथवा इन नियमों में निहित प्रावधानों से विशेष रूप से निष्कासित किया हो।

3. *परिभाषाएं* - इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो-

(1) "मौजूदा मूल वेतन" से आशय उस वेतन से होगा जो निर्धारित मौजूदा वेतनमान में आहरित किया जाता है, जिसमें गत्यवरोध वेतनवृद्धियां भी शामिल हैं परंतु इनमें "विशेष वेतन", आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

(2) रेल कर्मचारियों के संबंध में "मौजूदा वेतनमान" से आशय उस वर्तमान वेतनमान से है जो रेल कर्मचारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 को वास्तविक अथवा स्थानापन्न रूप से धारित पद (अथवा जैसा भी मामला हो, वैयक्तिक वेतनमान) पर लागू हों।

स्पष्टीकरण- किसी रेल कर्मचारी के मामले में, जो 1 जनवरी, 2006 को विदेश में प्रतिनियुक्ति अथवा अवकाश पर अथवा विदेश सेवा में था या जिसने उस तारीख को उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहते हुए भी एक या एक से अधिक निचले पदों पर कार्य किया था, "मौजूदा वेतनमान" में किसी पद के लिए ग्राह्य वेतनमान जो उसने भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा छुट्टी अथवा किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहते हुए भी विदेश सेवा में होते हुए अथवा, जैसा भी मामला हो, धारित किया होता, शामिल होगा।

(3) "मौजूदा परिलब्धियों" से आशय (i) मौजूदा मूल वेतन, (ii) मूल वेतन पर दिया जाने वाला उपयुक्त महंगाई वेतन तथा (iii) मूल वेतन पर दिया जाने वाला उपयुक्त महंगाई भत्ता+536 (1982 = 100) के सूचकांक औसत पर दिया जाने वाला महंगाई वेतन से है।

(4) प्रथम अनुसूची के कालम 2 में उल्लिखित किसी भी पद/ग्रेड के संबंध में "मौजूदा वेतनमान" से आशय उस वेतनमान से है जिसका उल्लेख कालम 3 में पद के सामने किया गया है।

(5) "वेतन बैंड में वेतन" का तात्पर्य प्रथम अनुसूची के कालम 5 में दिए गए रनिंग वेतन बैंडों में आहरित वेतन से है।

(6) "ग्रेड वेतन" पूर्व-संशोधित वेतनमानों/पदों के अनुरूप नियत देय राशि।

(7) प्रथम अनुसूची के कालम 2 में उल्लिखित किसी भी पद के संबंध में "संशोधित वेतन ढाँचे" का तात्पर्य उसके कालम 5 तथा 6 में निर्दिष्ट वेतनमान या उस पद के

समक्ष उल्लिखित ग्रेड वेतन और वेतन बैंड से है, बशर्ते कि उस पद के लिए अलग से भिन्न-भिन्न संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान अधिसूचित न किए गए हों।

(8) संशोधित वेतन ढाँचे में "मूल वेतन" से आशय उस वेतन से होगा जो निर्धारित वेतन बैंड तथा लागू ग्रेड वेतन के जोड़ में आहरित किया जाता है, परंतु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

एच.ए.जी+और शीर्षस्थ वेतनमान में रेल कर्मचारियों के मामले में मूल वेतन का तात्पर्य निर्धारित वेतनमान में मिलने वाले वेतन से है।

(9) "संशोधित परिलब्धियों" का अर्थ संशोधित वेतन ढाँचे में रेल कर्मचारी के वेतन बैंड में वेतन+ग्रेड वेतन अथवा एच.ए.जी+उसके ऊपर के वेतनमान में मूल वेतन से है, जिसमें उसे दिया जाने वाला संशोधित प्रैक्टिस बंदी भत्ता, यदि कोई हो, भी शामिल है।

(10) "अनुसूची" का तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है।

4. ***पदों का वेतनमान-*** प्रथम अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लिखित प्रत्येक पद/ग्रेड के लिए यथा लागू वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान का उल्लेख उसके कॉलम 5 तथा 6 के सामने किया जाएगा।

5. ***संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन का आहरण-*** इन नियमों में अन्यथा निहित प्रावधानों को छोड़कर कोई भी रेल कर्मचारी, उसके नियुक्त पद पर लागू संशोधित वेतन ढाँचे में अपना वेतन प्राप्त करेगा।

बशर्ते कि कोई रेल कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में अपनी अगली या किसी अनुवर्ती वृद्धि की तारीख तक, अथवा वह पद रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक, मौजूदा वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।

इसके अलावा यह भी शर्त है कि ऐसे मामलों में जहां रेल कर्मचारी को 1/1/2006 तथा पदोन्नति, वेतनमान के स्तरोन्नयन आदि के कारण बनाए गए इन नियमों की अधिसूचना के जारी होने की तारीख के बीच उच्चतर वेतनमान में रखा गया है, वे रेल कर्मचारी ऐसी पदोन्नति, स्तरोन्नयन आदि की तारीख से संशोधित वेतन ढाँचे का विकल्प चुन सकता है।

स्पष्टीकरण1- इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत मौजूदा वेतनमान बहाल रखने का विकल्प केवल एक मौजूदा वेतनमान के मामले में देय होगा।

स्पष्टीकरण2- ऊपर दिया गया विकल्प 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद किसी पद पर

नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा चाहे वह रेल सेवा में पहली बार आया हो अथवा दूसरे पद से स्थानांतरित होकर आया हो, उसे केवल संशोधित वेतन ढाँचे में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण.3- जहां कहीं कोई रेल कर्मचारी भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द 2 नियम 1313 (एफ आर 22) या किसी अन्य नियम या पद के लिए लागू किसी अन्य नियम के अंतर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर स्थानापन्न क्षमता पर धारित अपने किसी पद के संबंध में इस नियम के अंतर्गत मौजूदा वेतनमान को बहाल रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका वास्तविक वेतन वह मूलभूत वेतन होगा जो मौजूदा वेतनमान के संबंध में धारित पद, जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार रहता या निलंबित न किए जाने तक उसका पुनर्ग्रहणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वह वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा जो कि लागू होने के समय किसी भी आदेश के अनुरूप वास्तविक वेतन की खासियत लिए हुए वह अर्जित करता।

6. ***विकल्प का चयन-***

(1) नियम 5 के परंतुक के अंतर्गत चयन का विकल्प लिखित रूप में उस फार्म पर देना होगा जो दूसरी अनुसूची के साथ संलग्न है और यह विकल्प उप नियम (2) में वर्णित अधिकारी के पास इस नियम के प्रकाशित होने की तारीख के तीन माह के अंदर पहुंच जाने चाहिए अथवा जहां वर्तमान वेतनमान निर्धारित तारीख के बाद संशोधित किया जाता है तो वहां इसका संशोधित नियम की तारीख के प्रकाशन के तीन माह बाद तक पहुंचना मान्य होगा।

बशर्ते कि-

(i) उस मामले में जब रेल कर्मचारी उस नियम या आदेश के प्रकाशित होने की तारीख में छुट्टी पर या प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा अथवा सक्रिय सेवा में देश से बाहर हो। उपर्युक्त विकल्प संबंधित अधिकारी के पास कर्मचारी के भारत में आने और यहां का पदभार संभालने की तारीख के तीन माह के अंदर लिखित रूप में पहुंच जाए, तथा

(ii) जहां कोई रेल कर्मचारी 1 जनवरी, 2006 को निलंबित हो तो ऐसे में उसके काम पर लौटने की तारीख इस उप-नियम के प्रकाशित होने की तारीख के बाद की हो तो वह अपने कार्य दिवस पर लौटने के तीन महीने के अंदर लिखित विकल्प दे सकता है।

(2) विकल्प की सूचना रेल कर्मचारी द्वारा अपने कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी।

(3) अगर रेल कर्मचारी का लिखित विकल्प उप-नियम 1 के अनुसार निर्धारित तारीख के अंदर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जाएगा कि उसने नए संशोधित वेतनमान द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है और उसे 1 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढाँचे के अनुसार वेतन दिया जाएगा।

(4) एक बार दिया गया विकल्प ही अंतिम होगा।

नोट 1- जिन व्यक्तियों की सेवा 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिए जाने के कारण इस्तीफा, बर्खास्तगी अथवा सेवा-मुक्ति अथवा अनुशासनहीनता के कारणों से निर्धारित समय सीमा के अंदर चयन का विकल्प नहीं दे सके, उन्हें भी इस नियम के लाभों का अधिकार होगा।

नोट 2- जो व्यक्ति 1 जनवरी, 2006 को या इसके बाद दिवंगत हो गए और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अंदर संशोधित वेतन ढाँचे के लिए चयन का विकल्प नहीं दे सके, उनकी स्थिति में भी यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने 1 जनवरी, 2006 से या उसके बाद की किसी भी तारीख से, जो उसके आश्रितों को लाभप्रद लगे, उन्होंने नए वेतनमान का चयन कर लिया है। अगर संशोधित वेतन ढाँचे उनके हक में हैं तो बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्संबंधी कार्यालय प्रमुख द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।

नोट 3- जो व्यक्ति 1/1/2006 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें छुट्टी वेतन का हकदार बनाता है, उन्हें इस नियम के लाभ मिलेंगे।

7. *संशोधित वेतन ढाँचे में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण:*

(1) कोई रेल कर्मचारी, जिसने 1 जनवरी, 2006 को और उसी तारीख से संशोधित वेतन ढांचे द्वारा शासित होने के लिए नियम 6 के उप नियम (3) के तहत विकल्प चुन लिया है या उसके द्वारा इस प्रकार का विकल्प चुनना मान लिया गया है, के स्थाई पद जिस पर वह कार्य-पुनर्ग्रहणाधिकार रखता है या निलंबित न होने की स्थिति में यह अधिकार रखता होता, में वास्तविक वेतन के संबंध में जब तक कि राष्ट्रपति के विशेष नियम या अन्यथा निर्देश न हो, उसका आरंभिक वेतन अलग से निर्धारित किया जाएगा और उसके धारित पद में उसके वेतन निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित तरीका अपनाया जाएगा।

(क) सभी रेल कर्मचारियों के मामले में-

(i) वेतन बैंड/वेतनमान में वेतन का निर्धारण 1/1/2006 को यथाविद्यमान मौजूदा मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को 10 के अगले गुणज में पूर्णांकित करके किया जाएगा।

(ii) यदि संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त (i) के अनुसार प्राप्त राशि से ज्यादा है तो वेतन संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि :

वेतन निर्धारण में जहां कहीं रेल कर्मचारियों का वेतन जो मौजूदा वेतनमान में दो या अधिक संयोजी अवस्थाओं पर आहरित वेतन समूहबद्ध हो जाता है, अर्थात् अन्यथा कहें तो इसी अवस्था पर संशोधित वेतन ढांचे में वेतन बैंड में निर्धारित हो जाता है तो इस प्रकार से समूहबद्ध ऐसी प्रत्येक दो अवस्थाओं के लिए उन्हें एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा जिससे कि संशोधित रनिंग वेतन बैंडों में दो अवस्थाओं से अधिक बंचिंग से बचा जा सके। इस प्रयोजन के लिए वेतनवृद्धि वेतन बैंड में वेतन पर परिकलित की जाएगी। बंचिंग को कम करने के लिए वेतनवृद्धियां देते समय ग्रेड वेतन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

वेतन बैंड पी.बी.-4 में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एच.ए.जी.) में वेतनमानों के मामले में बंचिंग के कारण वेतनवृद्धियों का लाभ इस ग्रेड में विभिन्न वेतनमानों में सभी अवस्थाओं को ध्यान में रखकर दिया जाएगा। एच ए जी+वेतनमान के मामले में संशोधित वेतनमान में पूर्व-संशोधित वेतनमान की प्रत्येक दो अवस्थाओं के लिए एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा।

उपर्युक्त ढंग से वेतन वर्धन से यदि रेल कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान (जहां लागू हो) की उस अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि अगली उच्च अवस्था अथवा अवस्थाओं वाले संशोधित वेतन बैंड वाले कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में बाद वाले रेल कर्मचारी का वेतन उसी सीमा तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि वह पिछले कर्मचारी के वेतन के वेतन की तुलना में कम हो।

(iii) वेतन बैंड में वेतन उपर्युक्त तरीके से निर्धारित होगा। वेतन बैंड में वेतन के अलावा मौजूदा वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी देय होगा।

नोट- ***उपर्युक्त पर उदाहरण 1*** इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

(ख) उन कर्मचारियों, जो कि मौजूदा वेतनमान में वेतन के अलावा विशेष वेतन/भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके लिए स्थानापन्न तौर पर किसी विशेष वेतन/भत्तों के बिना ही कोई वेतन बैंड और ग्रेड वेतन दिया गया है, ऐसे कर्मचारियों का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में ऊपर खंड (क) में निहित प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा।

(ग) उन कर्मचारियों, जो कि वर्तमान वेतनमानों में मिल रहे वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से विशेष वेतन घटक प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि छोटे परिवार के मानकों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत वेतन, सचिवालय सहायकों के लिए विशेष वेतन, केन्द्रीय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता, आदि तथा जिनके मामले में इनके स्थान पर उसी अथवा अलग दर पर सादृश्य भत्ता/वेतन के साथ संशोधित वेतन ढांचा लागू कर दिया गया है, के मामले में संशोधित वेतन ढांचा उपर्युक्त खण्ड (क) के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित होंगे। ऐसे मामलों में, यथासंस्तुत नई दरों पर भत्ते इन भत्तों से संबंधित वैयक्तिक अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त मिलेंगे।

(घ) चिकित्सा अधिकारियों के मामले में उन चिकित्सा अधिकारियों, जिनको प्रैक्टिस बंदी भत्ता मिल रहा है, का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में उपर्युक्त खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसे मामलों में सूचकांक औसत 536 (1982= 100) पर स्वीकार्य प्रैक्टिस-बंदी भत्तों के लिए उपयुक्त पूर्व-संशोधित महंगाई भत्ता संशोधित वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण करते समय जोड़ा जाएगा तथा ऐसे मामलों में नई दरों पर प्रैक्टिस-बंदी भत्ता 1/1/2006 अथवा संशोधित वेतन ढांचे में विकल्प देने की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में निर्धारित वेतन के अतिरिक्त मिलेगा। इस संबंध में उदाहरण 2 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

टिप्पणी 1- (क) समूह "घ" कर्मचारियों के मामले में, संशोधित वेतन ढांचे में वेतन प्रारंभ में उपर्युक्त खंड (क) के अनुसार-1 एस वेतन बैंड में उपयुक्त ग्रेड वेतन के साथ निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। उसके पश्चात् ऐसे उन समूह "घ" कर्मचारियों का वेतन 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ पी.बी.-1 में 1.1.2006 से निर्धारित किया जाएगा जो पी.बी.-1 में प्रविष्टि के लिए निर्धारित आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित न्यूनतम अर्हताएं पहले से ही रखते हैं।

(ख) ऐसे मौजूदा समूह "घ" कर्मचारी, जो पी.बी.-1 में प्रविष्टि के लिए संशोधित न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, को संबंधित विभाग द्वारा अधिमानतः छह माह के भीतर पुनः प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि स्तरोन्नयन के फलस्वरूप मिलने वाले बकाया के भुगतान में विलंब न हो। पुनः प्रशिक्षण के बाद इन समूह "घ" कर्मचारियों को भी 1.1.2006 से 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड पी.बी.-1 में रखा जाएगा और तदनुसार बकाया राशि आहरित की जाएगी। एक बार वेतन बैंड पी.बी.-1 में आने के बाद, इस श्रेणी के समूह "घ" कर्मचारी पहले से ही न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले अन्य श्रेणी के समूह "घ" कर्मचारियों की तुलना में अपनी वरिष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगें और इसीलिए ये 1.1.2006 को पी.बी. वेतन बैंड में रखे गए हैं। तत्कालीन समूह "घ" में सभी कर्मचारियों की

पारस्परिक वरिष्ठता निचले वेतनमान वाले कर्मचारी की तुलना में उच्च वेतनमान में रखे जा रहे पूर्व-संशोधित उच्च वेतनमान वाले समूह "घ" कर्मचारी के साथ पूरी तरह बहाल रखी जाएगी । उसी पूर्व संशोधित वेतनमान में वरिष्ठता, जो संशोधन से पहले थी, बनी रहेगी।

(ग) दोनों मामलों में अर्थात् अर्हताएं रखने वाले समूह "घ" के वे कर्मचारी, जिन्हें सीधे पी.बी.-1 में रखा गया है तथा समूह "घ" के वे रेल कर्मचारी, जिनके पास अर्हता नहीं है, लेकिन पुनः प्रशिक्षण के बाद रखा गया है, की बकाया राशि 1.1.2006 से देय होगी। समूह "घ" कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण से संबंधित उदाहरण 3 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

(घ) पी.बी.-1 में स्थापित करने के संबंध में विस्तृत अनुदेश कार्यपालक आदेशों के तहत जारी किए जाएंगे।

टिप्पणी2(क)- जहां किसी पद को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप स्तरोन्नत किया गया है, जैसा कि इन नियमों की अनुसूची में दर्शाया गया है, वहां लागू वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण नियम 7 के खंड (क) (i) और (ii) के अनुरूप निर्धारित पद्धति से दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार मौजूदा मूल वेतन को गुणक 1.86 से गुणा करने के फलस्वरूप आने वाली संख्या को दस के अगले गुणज में पूर्णांकित करके किया जाएगा। स्तरोन्नत वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन अतिरिक्त रूप से देय होगा। इस संबंध में **उदाहरण 4 क** इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

टिप्पणी2(ख)- वेतनमानों के आमेलन के मामले में, संशोधित वेतन बैंडों में वेतन का नियतन दिनांक 01.01.2006 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार मौजूद मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके तथा इसके फलस्वरूप प्राप्त संख्या को दस के गुणक में पूर्णांकित करते हुए नियम 7 के खंड (क) (i) और (ii) के अनुसरण में निर्धारित तरीके से मौजूदा मूल वेतन को गुणा करते हुए किया जाएगा। आमेलित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन इसके अतिरिक्त दिया जाएगा। इस संबंध में इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में **उदाहरण 4 ख** दिया गया है।

टिप्पणी 3- यदि कोई रेल कर्मचारी जनवरी, 2006 की पहली तारीख को छुट्टी पर हो और वह छुट्टी वेतन लेने का हकदार हो तो वह 1.1.2006 से अथवा संशोधित वेतन ढांचें में विकल्प देने की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में वेतन लेने का हकदार होगा। इसी प्रकार यदि कोई रेल कर्मचारी जनवरी, 2006 की पहली तारीख को अध्ययनार्थ छुट्टी पर हो तो वह 1.1.2006 अथवा विकल्प की तारीख से इन नियमों के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।

टिप्पणी 4- निलंबित रेल कर्मचारी मौजूदा वेतनमान के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता

रहेगा तथा संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लिए जाने के अधीन होगा।

टिप्पणी 5- जब कोई रेल कर्मचारी किसी स्थायी पद पर हो तथा नियमित आधार पर किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत हो तथा दोनों पदों पर लागू वेतनमानों का एक में विलय कर दिया गया हो ऐसे में वेतन का निर्धारण इस उप नियम के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही स्थायी वेतन माना जाएगा।

इस नोट के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित, उन रेल कर्मचारियों पर लागू होंगे जो कि विभिन्न मौजूदा वेतनमानों के स्थान पर एक संशोधित वेतन संरचना वाले स्थानापन्न पद पर कार्यरत हैं।

टिप्पणी 6- यदि किसी रेल कर्मचारी की "मौजूदा परिलब्धियाँ" संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती है तो उस अंतर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।

टिप्पणी 7- जहां उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में कोई रेल कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में 1 जनवरी, 2006 के तुरंत पहले समान कैडर के किसी कनिष्ठ रेल कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और संशोधित वेतन बैंड में उसका वेतन एक ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन बैंड में उसी अवस्था तक बढ़ा दिया जाएगा जिस अवस्था पर वह कनिष्ठ कर्मचारी हो।

टिप्पणी 8- जहां कोई रेल कर्मचारी 1 जनवरी, 2006 को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हो और जो उसकी मौजूदा परिलब्धियों से जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती है, तो उस अंतर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में उस रेल कर्मचारी के व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।

टिप्पणी 9- उन रेल कर्मचारियों के मामले में जो कि 1 जनवरी, 2006 के पूर्व "हिंदी शिक्षण योजना" के अंतर्गत हिंदी प्राज्ञ, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपिक तथा इस प्रकार की अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए या रोकड़ शाखा एवं लेखा मामलों में सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका यह व्यक्तिगत वेतन, संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, वे 1 जनवरी, 2006 से या उसके आगे की उस अवधि के लिए संशोधित वेतन ढांचे में उस व्यक्तिगत वेतन को प्राप्त करते रहेंगे जो कि वे संशोधित वेतन ढांचे का निर्धारण न होने की दशा में प्राप्त करते। ऐसा व्यक्तिगत वेतन, निर्धारण की तिथि से संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि की उचित दर से उस अवधि तक के लिए दिया जाएगा, जिस अवधि तक कर्मचारी उसे प्राप्त करना जारी रखता।

स्पष्टीकरण- इस टिप्पणी के प्रयोजनार्थ, "संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि की उपयुक्त दर" से अभिप्राय वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन के उस जोड़ के 3 प्रतिशत से है जिस पर रेल कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में निर्धारित होगा।

टिप्पणी 10- ऐसे मामलों में जहां किसी वरिष्ठ रेल कर्मचारी की 1 जनवरी, 2006 के पहले किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति हो जाती है तथा वह उस कनिष्ठ रेल कर्मचारी से संशोधित वेतन संरचना में कम वेतन प्राप्त कर रहा है जो कि 1 जनवरी, 2006 के बाद उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है। तब ऐसी स्थिति में वरिष्ठ रेल कर्मचारी का वेतन उसके कनिष्ठ रेल कर्मचारी को उच्च पद पर दिए जा रहे वेतन बैंड में वेतन के बराबर कर दिया जाए। यह वृद्धि कनिष्ठ रेल कर्मचारी की पदोन्नति की तिथि से की जाएगी तथा वह निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी, अर्थात् :-

(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ रेल कर्मचारियों को एक ही कैडर का होना चाहिए तथा जिस पद पर वे पदोन्नत हुए हैं वह कैडर में समान पद होने चाहिए।

(ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों के पूर्व-संशोधित वेतनमान तथा संशोधित ग्रेड वेतन जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, समान होने चाहिए।

(ग) वरिष्ठ रेल कर्मचारी पदोन्नति के समय कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हों।

(घ) विसंगति सीधे तौर पर भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द II के नियम - 1313 (एफ आर-22) के प्रावधानों के उपयोग के कारण अथवा किसी संशोधित वेतन संरचना में इस प्रकार की पदोन्नति में वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले अन्य किसी नियम या आदेशों के कारण होनी चाहिए। यदि कनिष्ठ पद पर भी कोई कनिष्ठ अधिकारी संशोधन पूर्व वेतनमान के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में अग्रिम वेतनवृद्धि दिए जाने के कारण अधिक वेतन प्राप्त करता रहा है तो इस नोट के प्रावधानों को लागू करते हुए वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

(2) नियम 5 के प्रावधानों के अधीन उप नियम (1) के तहत यदि स्थानापन्न पद पर नियत किया गया वेतन मूल पद में नियत किए गए वेतन से कम है तो पूर्व को मूलभूत वेतन के उसी चरण पर नियत किया जाएगा।

8. ***1.1.2006 को अथवा उसके बाद नए रिक्रूटों के रूप में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का संशोधित वेतन ढांचे में निर्धारण***-इन नियमों की प्रथम अनुसूची का भाग "क" का खंड II वेतन बैंड में उस प्रारंभिक स्तर को दर्शाता है जिस पर किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन वाले विशेष पद पर सीधी भर्ती से आए कर्मचारियों का वेतन 1.1.2006 को अथवा उसके बाद निर्धारित किया जाएगा ।

यह 1.1.2006 और इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के बीच भर्ती हुए कर्मचारियों के मामले में भी लागू होगा । ऐसे मामलों में, जहां पूर्व संशोधित वेतनमानों में परिलब्धियाँ (अर्थात् सेवा में आने की तारीख को लागू पूर्व संशोधित वेतनमान (वेतनमानों) में मूल वेतन जमा मंहगाई वेतन जमा मंहगाई भत्ता) संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन तथा उस पर लागू मंहगाई भत्ते के जोड़ से अधिक हों तो उस अंतर को व्यक्तिगत वेतन के तौर पर देने की अनुमति होगी, जिसे भावी वृद्धियों में समाहित किया जाएगा ।

9. ***संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि -*** संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के जोड़ का 3 प्रतिशत होगी, जिसे 10 के अगले गुणक में पूर्णांकित किया जाएगा । वेतनवृद्धि की राशि वेतन बैंड में मौजूदा वेतन में जोड़ी जाएगी । इस संबंध में उदाहरण 5 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है । पी.बी.-3 के मामले में, 3 प्रतिशत और 4 प्रतिशत के हिसाब से वेतनवृद्धि की परिवर्तनीय दरों की व्यवस्था की गई है । वेतनवृद्धि की यह उच्चतर दर पी.बी.-3 में आने वाले अधिकारियों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों को नहीं दी जाएगी ।

वेरिएबल वेतनवृद्धि के संबंध में अलग से आदेश कार्यपालक आदेशों के द्वारा जारी किए जाएंगे ।

10. ***संशोधित वेतन ढांचे में अगली वेतनवृद्धि की तारीख*** - वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी । 01 जुलाई को संशोधित वेतन ढांचे में 6 माह और अधिक पूरा करने वाले कर्मचारी वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे । संशोधित वेतन संरचना में 1.1.2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात् पहली वेतनवृद्धि 1.7.2006 को उन कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी, जिनकी अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई, 2006 और 1 जनवरी, 2007 के बीच होगी ।

बशर्ते कि उन व्यक्तियों के मामले में संशोधित वेतन ढांचे में अगली वेतनवृद्धि जनवरी, 2006 को देने की अनुमति होगी, जो 01 जनवरी, 2006 को एक वर्ष से अधिक समय से मौजूदा वेतनमान का अधिकतम वेतन ले रहे थे । उसके बाद उन पर नियम 10 की शर्त लागू होगी ।

बशर्ते कि उन मामलों में जब कोई कर्मचारी अपने वेतन बैंड के अधिकतम स्तर पर पहुंच जाएगा तो उसे अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैंड में डाल दिया जाएगा । उच्चतर वेतन बैंड में स्थापन के समय एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा । उसके पश्चात् यह उच्चतर वेतन बैंड में तब तक रहेगा जब तक वेतन बैंड में उसका वेतन पी.बी.-4 के अधिकतम तक नहीं पहुंच जाता और उसके पश्चात् उसे और कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी ।

टिप्पणी 1- ऐसे मामलों में, जहां दो मौजूदा वेतनमानों में से एक को दूसरे के लिए पदोन्नति वेतनमान होने के कारण मिला दिया गया हो और अब कनिष्ठ रेल कर्मचारी अपना वेतन निचले वेतनमान में समान अथवा नीचे के स्तर पर पा रहा हो तथा संशोधित वेतन

संरचना में वेतन बैंड में वह मौजूदा उच्चतर वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठ रेल कर्मचारी के वेतन से अधिक वेतन ले रहा हो तो वरिष्ठ रेल कर्मचारी के वेतन बैंड में वेतन उसी तारीख से उक्त कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और इस प्रकार वह अपनी अगली वेतनवृद्धि नियम 10 के अनुसार प्राप्त करेगा ।

11. 1 जनवरी, 2006 के बाद संशोधित वेतन ढांचे में वेतन का निर्धारण- जहां रेल कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और उसे 1 जनवरी, 2006 के बाद की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में बाद की तारीख से उसका वेतन निम्न प्रकार निर्धारित होगा :-

(i) वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि से लागू मूल वेतन उस तिथि को लागू मंहगाई वेतन और 1.1.2006 को लागू पूर्व-संशोधित महंगाई भत्ता की यथा-विद्यमान दरों को जोड़ते हुए किया जाएगा। यह संख्या 10 के अगले गुणक तक पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रकार निकाली गई संख्या ही लागू वेतन बैंड में वेतन होगा । इसके अतिरिक्त पूर्व-संशोधित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी देय होगा । जहां कहीं कोई रेल कर्मचारी विशेष वेतन या प्रैक्टिस बंदी भत्ता ले रहा होगा तो नियम 7(1) (ख), (ग) अथवा (घ) में यथा विहित प्रक्रिया जिस रूप में लागू हो, का अनुपालन किया जाएगा, सिवाय इसके कि उक्त तारीख को यथा लागू मूल वेतन और महंगाई वेतन ही गणना में लिया जाएगा, किन्तु महंगाई भत्ते का परिकलन 1.1.2006 को लागू दरों के अनुसार ही किया जाएगा ।

12. 1 जनवरी, 2006 के बाद उस तारीख से पहले धारित पद पर पुनः नियुक्त होने पर वेतन का निर्धारण- वह रेल कर्मचारी जो 1 जनवरी, 2006 से पहले किसी पद पर स्थानापन्न रहा हो परंतु उस तारीख को उस पद पर न रहा हो, जो बाद में उस पद पर नियुक्त होने पर संशोधित वेतन ढांचे में वेतन ले रहा हो तो उसे भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द II के नियम 1313 (मूल नियम 22) के परन्तुक का लाभ उसी सीमा तक दिया जाएगा जैसा कि उस मामले में दिया जाता यदि वह 1 जनवरी 2006 को उस पद पर होता और उसने उस तारीख को तथा उस तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में रहने का विकल्प दिया होता।

13. 1.1.2006 को या उसके बाद पदोन्नति पर वेतन-निर्धारण- संशोधित वेतन ढांचे में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति की स्थिति में निर्धारण निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा।

(i) वेतन बैंड में वेतन एवं वर्तमान ग्रेड वेतन के 3 प्रतिशत राशि के समान एक वेतनवृद्धि, जिसे 10 के अगले गुणक तक पूर्णांकित किया जाएगा। इसे वेतन बैंड में मौजूदा वेतन में जोड़ा जाएगा। इसके बाद वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड वेतन प्रदान किया जाएगा। जहां पदोन्नति से वेतन बैंड में तबदीली भी जरूरी हो ऐसी स्थिति में इसी पद्धति का पालन किया जाएगा। तथापि वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद भी जहां वेतन बैंड में वेतन, पदोन्नति वाले

पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जाएगा।

(ii) वेतन बैंड-4 से एच ए जी + में पदोन्नति की स्थिति में, नियम 9 में यथा विहित तरीके से एक वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद, वेतन बैंड में वेतन और मौजूदा ग्रेड वेतन को मिला लिया जाएगा और इस प्रकार से हासिल संख्या ही एच ए जी+ में वेतन होगा। यह राशि वेतनमान के अधिकतम 80,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। प्रैक्टिस-बंदी भत्ता पाने वाले रेल कर्मचारियों के मामले में वेतन जमा प्रैक्टिस-बंदी भत्ता की राशि 85,000 रुपए से अधिक नहीं होगी।

14. वेतन-बकायों के भुगतान की विधि - बकायों का भुगतान दो किश्तों मे किया जाएगा । पहली किश्त कुल राशि का 40 प्रतिशत होगी। बकायों की शेष 60 प्रतिशत राशि अगले वित्त वर्ष में दी जाएगी।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन हेतु :

(क) "बकाया वेतन" का अर्थ रेल कर्मचारी के संबंध में निम्नलिखित के बीच अंतर से है:

(i) प्रासंगिक अवधि में इन नियमों के तहत वेतन और भत्तों में संशोधन के कारण उसके कुल वेतन एवं भत्ते का जोड़ जिनका वह हकदार है। संशोधित भत्ते (मंहगाई भत्ते और प्रैक्टिस-बंदी भत्ते के सिवाय) 1.9.2008 से ही देय होंगे; और

(ii) उस अवधि के वेतन एवं भत्तों का कुल जोड़, जिसका कि वह पात्र हुआ होता (चाहे ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त किए गए हों या नहीं) यदि इस प्रकार से उसका वेतन तथा भत्ते संशोधित नहीं किए गए होते।

(ख) "प्रासंगिक अवधि" से आशय 1 जनवरी, 2006 से प्रारंभ होकर 31 अगस्त, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि से है।

15. नियमों का अधिक्रमण- रेल मूल नियम, रेल सेवा (वेतन संशोधन) नियम, 1947, रेल सेवा (प्राधिकृत वेतन) नियम, 1960 और रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1973, रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1986 और रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1997 के प्रावधान, जैसा कि अन्यथा उपबंधित है, के सिवाय, इन नियमों के साथ असंगत होने की सीमा तक उन मामलों पर लागू नहीं होंगे जहां इन नियमों के अधीन वेतन विनियमित किया गया हो।

16. ढील देने की अपील- राष्ट्रपति, जहां संतुष्ट हों कि इन नियमों के सभी या किसी एक प्रावधान, जो किसी विशेष मामले में अवांछित अड़चन पैदा करता है, तो इस स्थिति में वे इस मामले के न्यायसंगत निपटान के लिए यथा-आवश्यक सीमा तक इस आदेश के विलोपन या इसमें वांछित मात्रा तक ढील दे सकते हैं बशर्ते कि वे ऐसा किया जाना जरूरी समझें।

17. व्याख्या- इन नियमों के किसी प्रावधानों की व्याख्या पर यदि कहीं कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो निर्णय के लिए इसे रेलवे बोर्ड के पास भेजा जाए।

पहली अनुसूची

(नियम 3 और 4 देखें)

भाग - क

खंड I

(1) रेलवे बोर्ड सचिवालय (2) रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा (3) रेल दर अधिकरण, चेन्नै (4) रेल दावा अधिकरण, नई दिल्ली (5) रेल संचलन (कोयला) कोलकाता (6) सभी रेलवे भर्ती बोर्ड (7) भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद (8) भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे (9) भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक (10) भारतीय रेल यांत्रिकी एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर (11) कैमटैक, ग्वालियर (12) जे.आर.आर.पी.एफ अकादमी, लखनऊ (13) भारतीय रेल परिवहन प्रबंध संस्थान, लखनऊ के कार्यालयों में समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में वर्तमान वेतनमान वाले पदों, उन पदों को छोड़कर जिनके लिए भिन्न-भिन्न संशोधित वेतनमान अलग से संशोधित किए गए हैं, के लिए संशोधित वेतनमान:-

(रुपए में)

मौजूदा वेतनमान			संशोधित वेतन संरचना		
क्र. सं.	पद/ग्रेड	वर्तमान वेतनमान	वेतन बैंड/वेतनमान का नाम	तदनुरूपी वेतन बैंड/वेतनमान	तदनुरूपी ग्रेड पे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	एस-1	2550-55-2660-60-3200	-1एस	4440-7440	1300
2	एस-2	2610-60-3150-65-3540	-1एस	4440-7440	1400
3	एस-2	2610-60-2910-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1600
4	एस-3	2650-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1650
5	एस-4	2750-70-3800-75-4400	वेतन बैंड-1	5200-20200	1800
6	एस-5	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैंड-1	5200-20200	1900
7	एस-6	3200-85-4900	वेतन बैंड-1	5200-20200	2000

8	एस-7	4000-100-6000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2400
9	एस-8	4500-125-7000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2800
10	एस-9	5000-150-8000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
11	एस-10	5500-175-9000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
12	एस-10 क	6000-190-9800	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
13	एस-12	6500-200-10500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
14	एस-13	7450-225-11500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4600
15	एस-14	7500-250-12000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4800
16	एस-15	8000-275-13500	वेतन बैंड-2	9300-34800	5400
17	नया वेतनमान	8000-275-13500 (समूह 'क' प्रविष्टि)	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
18	एस-19	10000-325-15200	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
19	एस-21	12000-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600
20	एस-24	14300-400-18300	वेतन बैंड-4	37400-67000	8700
21	एस-26	16400-450-20000	वेतन बैंड-4	37400-67000	8900
22	एस-27	16400-450-20900	वेतन बैंड-4	37400-67000	8900
23	एस-29	18400-500-22400	वेतन बैंड-4	37400-67000	10000
24	एस-30	22400-525-24500	वेतन बैंड-4	37400-67000	12000
25	एस-31	22400-600-26000	एच.ए.जी+ वेतनमान	75500-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3प्रतिशत)-80000	शून्य
26	एस-32	24050-650-26000	एच.ए.जी.+वेतनमान	75500-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत)-80000	शून्य
27	एस-33	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य

टिप्पणी :

(i) संशोधित वेतनमान रेलवे कर्मचारियों की समस्त कोटियों के लिए, उनके पदनाम का विचार किए बिना पूर्णतः वर्तमान वेतनमान के आधार पर लागू हैं, सिवाय उनके, जिनके लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा अन्यथा विशेष रूप से प्रावधान किया जाए।

(ii) सभी संगठित सेवाओं में 8000-13500/- रुपए के मौजूदा वेतनमान में समूह "ख" राजपत्रित अधिकारियों को समूह "ख" राजपत्रित के मौजूदा वर्गीकरण में रखते हुए वेतन बैंड-3 में 5400/- रुपए का ग्रेड वेतन दिया जाएगा।

(iii) संशोधित वेतन ढांचे में रेलवे कर्मचारियों का समूह " घ" "ग" "ख" और "क" में मौजूदा वर्गीकरण अगले आदेशों तक वर्तमान वेतनमान के आधार पर ही रहेगा, सिवाय रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से यथानिर्धारित। संशोधित वेतनमानों में वर्गीकरण में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

खण्ड - II

दिनांक 1.1.2006 को अथवा इसके बाद नियुक्त सीधी भर्ती रिक्रूटों के लिए संशोधित वेतन ढांचे में प्रविष्टि वेतन

वेतन बैंड -1 (5200-20200 रुपए)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
1,800	5,200	7,000
1,900	5,830	7,730
2,000	6,460	8,460
2,400	7,510	9,910
2,800	8,560	11,360

वेतन बैंड -2 (9300-34800 रुपए)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
4,200	9,300	13,500
4,600	12,540	17,140
4,800	13,350	18,150

वेतन बैंड -3 (15600-39100 रुपए)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
5,400	15,600	21,000
6,600	18,750	25,350
7,600	21,900	29,500

वेतन बैंड - 4 (37400-67000 रुपए)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
8,700	37,400	46,100
8,900	40,200	49,100
10,000	43,000	53,000
12,000	47,100	59,100

भाग - ख

रेलवे बोर्ड कार्यालय में कतिपय विनिर्दिष्ट पदों के लिए संशोधित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन

(रुपयों में)

क्रम सं.	पद	वर्तमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान	तदनुरूपी वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	
				वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव (ग्रुप बी राजपत्रित)	6500-10500 8000-13500 (4 वर्ष पूरे होने पर) (ग्रुप "बी" राजपत्रित)	7500-12000 8000-13500 (4 वर्ष पूरे होने पर) (ग्रुप "बी" राजपत्रित)	पी.बी.-2 पी.बी.-3	4800 5400 (4 वर्ष पूरे हाने पर) उनका ग्रुप "बी" राजपत्रित का मौजूदा वर्गीकरण बना रहेगा

दूसरी अनुसूची

विकल्प फॉर्म

[नियम 6 (1) देखें]

*(i) मैं.....एतद्द्वारा 1 जनवरी, 2006 से लागू संशोधित वेतनमान का चयन करता हूँ/करती हूँ।

*(ii) मैं.....एतद्द्वारा नीचे दिए गए अनुसार अपने मूल/स्थानापन्न पद के मौजूदा वेतनमान पर बने रहने के विकल्प का चयन करता हूँ/करती हूँ :

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख तक।
* मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तारीख तक, जब मेरा वेतन बढ़कर.....रु. तक हो जाएगा।
* जब तक कि मैं मौजूदा वेतनमान में वेतन लेना बन्द न कर दूँ/छोड़ न दूँ।
*पर मेरी पदोन्नति की तारीख तक।

मौजूदा वेतनमान.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
जिस कार्यालय में नियुक्त हैं.....

तारीख:
स्टेशन:

*यदि लागू न हो, तो काट दिया जाए।

पावती

*श्री/श्रीमती/कुमारी.....*पुत्र/पुत्री/पत्नी.....पदनाम.....कार्यालय/स्टेशन.....से:

*(i) 1 जनवरी, 2006 से सभी पदों के संशोधित वेतनमानों को चुनने का विकल्प प्राप्त हुआ है।

*(ii) निम्नलिखित अनुसार मूल/स्थानापन्न पद के मौजूदा वेतनमान पर बने रहने का विकल्प प्राप्त हुआ है।

* उनकी अगली वेतनवृद्धि की तारीख तक।
* उनकी बाद की वेतनवृद्धि की तारीख तक, जब उनका वेतन बढ़कररुपए हो जाएगा।
* जब तक वह मौजूदा वेतनमान में वेतन लेना बन्द न कर दें/छोड़ न दें।
* उनकीपर पदोन्नति की तारीख तक।

मौजूदा वेतनमान.....

हस्ताक्षर.....
पदनाम.....
जिस कार्यालय में नियुक्त हैं.....

तारीख:
स्टेशन:

*यदि लागू न हो, तो काट दिया जाए।

पहली अनुसूची रेलवे बोर्ड कार्यालय तथा इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के पदों से ही संबंधित है। रेलों, उत्पादन इकाइयों, परियोजनाओं और अन्य कार्यालयों के पदों से संबंधित अनुसूची कार्यपालक आदेशों के अंतर्गत अलग से जारी की जा रही है।

[फा. सं. पीसी-VI/2008/I/आरएस आर पी/1]

मैथ्यू जॉन, सचिव

रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन

नियम I- यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

नियम 2- यह नियम उन कर्मचारियों को श्रेणीबद्ध करता है जिन पर यह लागू होगा। खंड (2) में वर्गीकृत श्रेणियों को छोड़कर राष्ट्रपति के अधिकार में आने वाले उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जो रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत हैं।

नियम 3 और 4- ये नियम स्वतः स्पष्ट हैं।

नियम 5- इस नियम का अभिप्राय यह है कि सभी रेल कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के अंतर्गत लाया जाए सिवाय उन लोगों के जो मौजूदा वेतनमानों में वेतन आहरित करने का चुनाव करते हैं जो मौजूदा वेतनमान में ही बने रहना चाहते हैं उन्हें महंगाई भत्ते की वे किश्तें मिलते रहेंगी जो 01 जनवरी 2006 को लागू थीं और मंहगाई भत्ता उस कुल परिलब्धि में शामिल माना जाएगा जो पेंशन आदि के लिए उस तारीख से लागू हैं। यदि रेल कर्मचारी मौलिक क्षमता के अनुसार स्थायी पद पर काबिज है तथा अपने से ऊंचे पद का कार्य निभा रहा है, अथवा उसके प्रतिनियुक्ति आदि पर न होते हुए एक या अधिक पदों पर कार्य कर रहा होता तो उसके पास केवल एक वेतनमान के संबंध में मौजूदा वेतनमान में बने रहने का विकल्प होता। ऐसा रेल कर्मचारी स्थायी पद अथवा कार्यवाहक पदों में से किसी एक पद पर लागू मौजूदा वेतनमान में बने रह सकता है। शेष पदों के संबंध में उसे संशोधित वेतन संरचना के तहत अनिवार्यतः लाया जाना होगा।

नियम 6-यह नियम यह पद्धति विनिर्दिष्ट करता है कि विकल्प का चयन कैसे किया जाए और किस प्राधिकरण को अपने विकल्प से अवगत कराया जाए। अपना विकल्प नियम के साथ संलग्न फॉर्म पर ही उपलब्ध करवाना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि रेल कर्मचारी के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपना विकल्प चुन ले बल्कि उसके लिए यह भी जरूरी है कि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर ही अपना चयनित विकल्प संबंधित अधिकारी तक पहुंचाए। अगर इन नियमों के अनुपालन के समय कोई रेल कर्मचारी देश के बाहर है तो उसे भारत में आकर अपना अधिभार ग्रहण करने की तिथि से तीन महीने की समय-सीमा के अंदर अपना चयनित विकल्प संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना होगा। रेल कर्मचारियों के मामले में जिन पदों की संशोधित वेतन संरचना की घोषणा इन नियमों के जारी होने की तारीख के बाद होती है, ऐसी घोषणा की तारीख से तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की जाती है।

जो व्यक्ति 01 जनवरी, 2006 और इस नियम के जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी अपना विकल्प चुनने का अधिकार होगा।

नियम 7 (1) - इस नियम का संबंध 01 जनवरी, 2006 को यथाविद्यमान वेतनमान में वेतन के वास्तविक निर्धारण से है। नियम 7 (1) के नीचे टिप्पणियों के तहत वेतन-वर्धन की शर्त पर इस उप-

नियम 7(2)- इस नियम का लाभ ऐसे मामलों में देय नहीं होगा जहां किसी रेल कर्मचारी ने अपने मूल पद के लिए संशोधित वेतनमान का चुनाव किया हो लेकिन कार्यवाहक पद के संबंध में मौजूदा वेतनमान को ही बरकरार रखा हो।

नियम 8- यह नियम 01.01.2006 को या इसके बाद नई भर्ती के रूप में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की पद्धति को विनिर्दिष्ट करता है।

नियम 9 और 10- ये नियम नए वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि किस प्रकार विनियमित की जानी चाहिए, का वर्णन करता है। इस नियम के मूल भाग की विसंगतियों के कारण कनिष्ठ रेल कर्मचारी अपने से वरिष्ठ रेल कर्मचारियों से अधिक वेतन पा रहे हैं, को इस परन्तुक द्वारा दूर किया जा रहा है और इसके द्वारा उन रेल कर्मचारियों जो 01.01.2006 को एक वर्ष से अधिक समय के मौजूदा वेतनमान में अधिकतम वेतन पा रहे हैं और जो गतिरोध के कारण मौजूदा वेतनमान में अधिकतम वेतन पा रहे हैं और जो वास्तव में तदर्थ आधार पर गतिरोध वेतनवृद्धि पा रहे हैं, का भी ध्यान रखा गया है।

नियम 11 से 17 - ये नियम स्वतः स्पष्ट हैं।

उदाहरण 1 : संशोधित वेतन ढांचे में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण

1.	मौजूदा वेतनमान	4000-100-6000 रुपए
2.	लागू वेतन बैंड	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए
3.	01.01.2006 को मौजूदा मूल वेतन	4800 रुपए
4.	1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	8928 रुपए (8930 रुपए में पूर्णांकित)
5.	वेतन बैंड में वेतन	8930 रुपए
6.	बंचिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन	8930 रुपए
7.	वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	2400 रुपए
8.	संशोधित मूल वेतन-वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	11330 रुपए

उदाहरण 2: चिकित्सा अधिकारियों की संशोधित वेतन ढांचे में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण

1.	मौजूदा वेतनमान	10000-15200 रुपए
2.	लागू वेतन बैंड	वेतन बैंड-3 15600-39100 रुपए
3.	01.01.2006 की स्थिति के अनुसार मौजूदा मूल वेतन	10000 रुपए
	वेतन+एन.पी.ए. पर मंहगाई वेतन	6250 रुपए
	मूल वेतन + मंहगाई वेतन पर 25 प्रतिशत एन.पी.ए	4063 रुपए
	24 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता	4875 रुपए (मूल वेतन +डी.पी.+एन.पी.ए. का 24 प्रतिशत)
	वर्तमान परिलब्धियां	25188 रुपए (25190 रुपए पूर्णांकित)
4.	मूल वेतन पर 1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के पश्चात वेतन बैंड में संशोधित वेतन	18600 रुपए
5.	एन.पी.ए. पर महंगाई भत्ता	976 रुपए (4063 रुपए का 24 प्रतिशत)
6.	वेतनमान से संबद्ध वेतन बैंड में वेतन	19580 रुपए (18600+976=19576 पूर्णांकित)
7.	वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	6600 रुपए
8.	संशोधित मूल वेतन-वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	26180 रुपए
9.	संशोधित एन.पी.ए.	6545 रुपए

उदाहरण 3

स्थिति 1 : -1एस में समूह "घ" कर्मचारियों का प्रारंभिक निर्धारण

1.	मौजूदा वेतनमान	2500-55-2660-60-3200 रुपए
2.	लागू वेतन बैंड	-1एस 4440-7440 रुपए
3.	1.1.2006 को मौजूदा मूल वेतन	2840 रुपए
4.	1.86 गुण्क द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	5282 रुपए (5290 रुपए पूर्णांकित)
5.	वेतन बैंड में वेतन	5290 रुपए
6.	बंचिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन	5290 रुपए
7.	वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	1300 रुपए
8.	संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	6590 रुपए

स्थिति 2 : अपेक्षित अर्हता रखने वाले अथवा पुन: प्रशिक्षण के बाद वाले समूह "घ" कर्मचारियों का निर्धारण

1.	मौजूदा वेतनमान	2500-55-2660-60-3200 रुपए
2.	लागू वेतन बैंड	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए
3.	1.1.2006 को मौजूदा मूल वेतन	2840 रुपए
4.	1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	5282 रुपए (5290 रुपए पूर्णांकित)
5.	वेतन बैंड पी.बी.-1 में वेतन	5290 रुपए
6.	बंचिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन	5530 रुपए
7.	वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	1800 रुपए
8.	संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	7330 रुपए

उदाहरण 4 क : स्तरोन्नत पदों के मामले में वेतन निर्धारण अर्थात् 3050-75-3950-80-4590 रुपए से 3200-85-4900 रुपए के वेतनमान में पूर्व संशोधित वेतनमान के पद

1.	मौजूदा वेतनमान	3050-4590 रुपए (1900 रुपए का सादृश्य ग्रेड वेतन)
2.	लागू वेतन बैंड	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए
3.	वेतन के वेतनमान में स्तरोन्नत	3200-4900 रुपए (सादृश्य ग्रेड वेतन 2000 रुपए)
4.	1.1.2006 को मौजूदा मूल वेतन	3125 रुपए
5.	1.86 गुण्क द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	5813 रुपए (5820 रुपए पूर्णांकित)
6.	वेतन बैंड में वेतन	5820 रुपए
7.	3050-4900 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान में बंचिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन	6060 रुपए
8.	3200-4900 रुपए के वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	2000 रुपए
9.	संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	8060 रुपए

उदाहरण 4 ख : उन मामलों में, जहां 5000-8000, 5500-9000 तथा 6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमानों को आमेलित किया गया है, वेतन निर्धारण

1.	मौजूदा वेतनमान	5000-150-8000
2.	लागू वेतन बैंड	वेतन बैंड-2 9300-34000 रुपए
3.	वेतनमान में आमेलित	6500-200-10500
4.	1.1.2006 को मौजूदा मूल वेतन	5600 रुपए
5.	1.86 के गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	10416 रुपए (10420 पूर्णांकित)
6.	वेतम बैंड पी.बी.-2 में वेतन	10420 रुपए
7.	बंचिंग के लाभ शामिल करने के बाद वेतन बैंड में वेतन	10420 रुपए
8.	6500-200-10500 रुपए में संलग्न ग्रेड वेतन	4200 रुपए
9.	संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का जोड़	14620 रुपए

उदाहरण 5 : संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि देने के बाद वेतन निर्धारण

1.	वेतन बैंड-2 में वेतन	9300 रुपए
2.	ग्रेड वेतन	4200 रुपए
3.	वेतन + ग्रेड वेतन का योग	13500 रुपए
4.	वेतनवृद्धि की दर	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5.	वेतनवृद्धि की राशि	405 रुपए 410 रुपए पूर्णांकित
6.	वेतनवृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	9300+410 रुपए
7.	वेतन वृद्धि के बाद वेतन	9710 रुपए
8.	लागू ग्रेड वेतन	4200 रुपए

(मैथ्यू जॉन)
सचिव, रेलवे बोर्ड